

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो उपर क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुधिता हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(फोनलियर)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सन्बद्धता/2011/ ५०२१

दिनांक : १२.११.११

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(xiv) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2011 के एवं क्रमांक (31) के निर्णयानुसार श्री गुरुकृष्ण नरसिंग महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. (नरसिंग) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सन्बद्धता निभा शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तों/प्रतिबंध :-

- प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति अगले सत्र से पहले 28(17) के अन्तर्गत की जावे।
- नरसिंग डॉक्टर की नियुक्ति भी 28(17) के अंतर्गत की जावे।
- खेल मैदान विकसित किया जावे।
- 28(17) का पालन किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, श्री गुरुकृष्ण नरसिंग महाविद्यालय, ग्वालियर
- सचिव, इण्डियन नरसिंग कॉलेज, टैम्पल लैन, लैंडला मार्ग, नई दिल्ली
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा नगर, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, नोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सन्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बिधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीविटिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(स्नायरियर)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwalli.edu>

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4019

दिनांक : 12.11.11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2011 के पद क्रमांक (31) के निर्णयानुसार श्री गुरुकृष्ण नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस.-सी. (नर्सिंग) प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम (10 छात्र) के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

- महाविद्यालय द्वारा अगले सत्र से पहले 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति करें अन्यथा अगले सत्र की मान्यता पर विचार न किया जावे।
- खेल मैदान विकसित किया जावे।
- नर्सिंग काउंसिल के अनुसार जरनलस मंगाये जावें।
- 50,000/- की पुस्तकें क्रय की जावे।
- 28(17) का पालन किया जावे।

आदेशानुसार
30003
कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, श्री गुरुकृष्ण नर्सिंग महाविद्यालय, अपोजिट हुरावली मंदिर, सिरोल रोड, मुराद, ग्वालियर
- सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैन, कोट्ला मार्ग, नई दिल्ली
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

[Signature]
सहा. - कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्याख्यान कुलसचिव जैनकी
विश्वविद्यालय के बारे से ही किया जावे ज
कि किसी अन्य पदाधिकारी के बारे नहीं।
सम्बन्धित विषय पर यह यहि पूर्ण में पञ्च
व्याख्यान कुप्राप्त हो तो पञ्च कलांक एवं दिवांक
व्यष्टि लिखा जावे जिससे खलिया हो।



नाम : शूलीकर्त्तव्य
दूरध्वाः : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फ़ॉन्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/उन्दृश्यता/2009/ 5061

दिनांक: 25/06/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री गुरुकृपा लर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-4073703) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. लर्सिंग पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत विभागुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिकारी महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442828)
- (2) डॉ. ओ.पी. जाटव, आचार्य, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर।
- (3) डॉ. रवी अम्बे, आचार्य, जी.आर.एम.सी. ग्वालियर।
- (4) डॉ. रेणुका दास, प्राचार्य, पी.जी. कॉलेज ऑफ लर्सिंग, कैंसर दाउड़ी, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावृत्तियों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुक्र, धरोहर राशि, वर्षांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुगति/अनुलापित प्रश्नाण-पञ्च, अशब्द, डीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडीबैन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति सद्य प्रगति पञ्च के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विश्वित्यों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे ने टप्पे विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से लिखेदन है कि वे उक्त विधीनित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में बमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति नवब का पञ्च प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देखी के लिए नडाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोगाल को भेज दी जावेगी। वादि महाविद्यालय 03 माह जून में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वयं निरस्त हो जावेगी और पुनः विरीक्षण लानी गठन हेतु महाविद्यालय को टप्पे रुपय 15,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् दी विरीक्षण समिति का पुर्वज्ञव किया जावेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देबा अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यकृत अधीक्षक / कार्यालय अध्यक्ष पञ्चावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की कानूनिक लैंगिकता से विरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.पी. / डी.ए. / मास्टर्स/ महाविद्यालय द्वारा देना होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचबार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संवंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिवांक निधीनित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा अवन, भोगाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)